

26.07.2024:-

पत्रावली पेशी मे ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया प्रार्थी व प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाही जा रही है प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्तिथ नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण प्रार्थना पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

दी पेशी मे  
वादी व  
वादी अधिवक्ता  
प्रार्थी व  
प्रार्थी अधिवक्ता  
अदम पैरवी/अदम हाजरी  
अधिवक्ता  
अदम पैरवी/अदम हाजरी  
अधिवक्ता

